न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 52 / 2013 / बाड़मेर

अपीलांट

1. भींयाराम पुत्र गोमाराम उम्र 58 वर्ष जाति जाट निवासी मूढणों की ढाणी, उण्डू तहसील शिव जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1. लाला उर्फ बांका पुत्र भगवानाराम उम्र 48 वर्ष
2. कौशला पुत्र गोमा उम्र 48 वर्ष
3. बाबूदेवी पत्नी कौशला उम्र 45 वर्ष जाति जाट निवासी मूढणों की ढाणी उण्डू तहसील शिव जिला बाड़मेर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार व उपपंजीयक शिव जिला बाड़मेर।
5. शाखा प्रबन्धंक, दी बाड़मेर सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव सोसायटी बैंक लि. शाखा सवाऊ पदमसिंह बायतु।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 122/2010 बअनवान भीयाराम वगैरा बनाम लाला वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2012 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री मनोज पारिक अपीलांट की ओर से ।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– 05.12.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के पूर्वज ग्राम उण्डू, तहसील शिव के पैतृक खेत सेटलमेंट पूर्व खसरा संख्या 129, 66, 121 व 128 वर्तमान ग्राम धीरजी की ढाणी के खेत खसरा संख्या 260 रकबा 0.14 बीघा व ग्राम मूढणों की ढाणी के खसरा संख्या 406/261 रकबा 27 बीघा व खसरा संख्या 261 रकबा 71.19 बीघा तथा वर्तमान ग्राम प्रहलादपुरा के खेत खसरा संख्या 82 रकबा 58.06 बीघा के पट्टाबापी खेत वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम से आये हुऐ थे जिसमें अपीलकर्ता एवं रेस्पोडेंटगण के पूर्व पुरूषों दुर्गा, भूरा, खरथा पुत्रान राजू तीनो का 1/3–1/3 हिस्सा था लेकिन वक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सेटलमेंट भू प्रबंधक विभाग के अधिकारियों से दुर्गा पुत्र राजू ने मिल भगती कर सम्पूर्ण खेत अपने अकेले के नाम करवा दिये तथा राजू का तीसरा पुत्र खरथा ला औलाद फौत होने से अपीलकर्ता एवं रेस्पोडेंट संख्या 02 का वादग्रस्त अपीलाधीन खसरों में 1/2 हिस्सा की घोषणा की जावे। अपीलांट/वादी ने अपना वाद अधीनस्थ न्यायालय में साबित करने हेतु साक्षी पी. डब्लू 1 से 4 एवं दस्तावेज EXP 1 से EXP 8 प्रस्तुत किये जिससे वादग्रस्त खेतो में अपीलाकर्ता एवं रेस्पोडेंट क्रमांक 2 का 1/2 हिस्सा पैतृक खातेदारी अधिकार साबित एवं प्रमाणित सिद्ध है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ता/वादी का वाद आंशिक स्वीकार करते हुए अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 02 का 1/3 हिस्सा एवं रेस्पोडेंट 1 का 1/2 हिस्सा की घोषणा कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलकर्ता एवं रेस्पोडेंटगण के पूर्व पुरूषों दुर्गा, भूरा, खरथा पुत्रान राजू तीनो का 1/3–1/3 हिस्सा था लेकिन वक्त सेटलमेंट भू प्रबंधक विभाग के अधिकारियों से दुर्गा पुत्र राजू ने मिल भगती कर सम्पूर्ण खेत अपने अकेले के नाम करवा दिये तथा राजू का तीसरा पुत्र खरथा ला औलाद फौत होने से अपीलकर्ता एवं रेस्पोडेंट संख्या 02 का वादग्रस्त अपीलाधीन खसरों में 1/2 हिस्सा की घोषणा की जावे। अपीलांट/वादी ने अपना वाद अधीनस्थ न्यायालय में साबित करने हेतु साक्षी पी. डब्लू 1 से 4 एवं दस्तावेज EXP 1 से EXP 8 प्रस्तुत किये जिससे वादग्रस्त खेतो में अपीलाकर्ता एवं रेस्पोडेंट क्रमांक 2 का 1/2 हिस्सा पैतृक खातेदारी अधिकार साबित एवं प्रमाणित सिद्ध है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ता/वादी का वाद आंशिक स्वीकार करते हुए अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 02 का 1/3 हिस्सा एवं रेस्पोडेंट 1 का 1/2 हिस्सा की घोषणा कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2012 में संशोधन कर अपीलांट का वाद में वर्णिता अनुतोष की डिक्री करने का आदेश फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/वादी निरक्षर काश्तकार है जो अक्टूबर 2012 से दिसम्बर 2012 तक अपनी खरीफ की फसल लेने में व्यस्त रहा जिस कारण वह अपने अधिवक्ता से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सम्पर्क नहीं कर सका तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान अपीलांट को नहीं हो सका। दिनांक 06.01.2013 को अपीलांट अति आवश्यक कार्य से शिव आया तब अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपने वाद के बारे में जानकारी चाही तब अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के बारे में जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन करने पर इस न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपीलांट वंशवृक्ष के अनुसार वादग्रस्त आराजी के पूर्व पुरूष का वंशज होने से अपीलाधीन आराजी में उसका हक हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 01 अपीलांट के पक्ष में आंशिक निर्णित करने का कोई विधि सम्मत कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के पूर्व पुरूष राजू के तीन बेटे थे दुर्गा भूरा एवं खरथा। खरथा लाऔलाद फौत होने के पश्चात खरथा के हिस्से की भूमि दुर्गा के वंशजों के नाम किस वजह से हुई इसका रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार का साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। तनकी संख्या 02 में विवेचन किया गया है कि प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य में खसरा संख्या 82 जिसका विक्रय विलेख निष्पादित हुआ है, किसी भी रूप में पुश्तैनी साबित नहीं हो पाया है। इसके अलावा विधिवत रूप से किए गये विक्रय विलेख को अवैध, निष्प्रभावी घोषित करने का इस न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नही है। अपीलांट/वादी का वाद अधीनस्थ न्यायालय में साक्षी पी. डब्लू 1 से 4 एवं दस्तावेज EXP 1 से EXP 8 प्रस्तुत किये जिससे अपीलाधीन आराजी खसरा संख्या 260 रकबा 0.14 बीघा व ग्राम मूढणों की ढाणी के खसरा संख्या 406/261 रकबा 27 बीघा व खसरा संख्या 261 रकबा 71.19 बीघा में अपीलाकर्ता एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 का 1/2 हिस्सा पैतृक खातेदारी अधिकार साबित एवं प्रमाणित सिद्ध है। उपोराक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 122/2010 बअनवान भीयाराम वगैरा बनाम लाला वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2012 में आंशिक संशोधन कर आदेश दिये जाते है कि अपीलांट/वादी एवं रेस्पोडेंट संख्या 02 को अपीलाधीन आराजी खसरा संख्या 260 रकबा 0.14 बीघा व ग्राम मूढणों की ढाणी के खसरा संख्या 406/261 रकबा 27 बीघा व खसरा संख्या 261 रकबा 71.19 बीघा में 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव को पाबंद किया जाता है कि हस्तगत अपील में पारित निर्णय की दिनांक से 60 दिवस तक की अवधि तक निर्णय की पालना में नामांतकरण पारित नहीं करे।

05/12/19

(नाथूसिंह राजपुरोहित)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

05/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner